

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-6

संख्या-546/दो-6-2018-53(19)/2017

लखनऊ : दिनांक : ०५ अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्य) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री अजय कुमार सिंह, आई०ए०एस० को उनके स्वयं के दिनांक 06.10.2017 से 03.02.2018 तक (संलग्न बिल/वाउचर्स के अनुसार) डा० अविनाश अग्रवाल, के०जी०एम०यू०, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष रू०-23,166/- (रूपये तेइस हजार एक सौ छ्ठाठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री अजय कुमार सिंह, आई०ए०एस० का वेतन आहरित किया जाता है।

अरविन्द मोहन चित्रांशी

विशेष सचिव।

संख्या-546(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
- (4) अनुभागीय आदेश पुस्तिका/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।
- (5) श्री अजय कुमार सिंह, आई०ए०एस०, सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)

अनु सचिव।